

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प 2 (25) / शिक्षा-4 / 2003

जयपुर, दिनांक:- 18/6/03

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय - श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, महुवा, दौसा के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

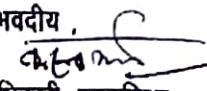
संदर्भ - निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक:
प 4 () लेखा/निकाशि/2002/1330 दिनांक: 6.5.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के आधार पर श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, महुवा, दौसा के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर कला सहाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. समाजशास्त्र 4. इतिहास 5. राजनीति विज्ञान 6. भूगोल 7. अर्थशास्त्र 8. संस्कृत 9. गृहविज्ञान 10. ड्राईंग एवं पेन्टिंग ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है

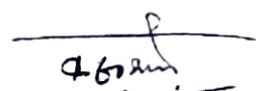
1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन.ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के सयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष / फर्नीचर / प्रयोगशालायें / पुस्तकालय / खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 2.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा / 5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय,


विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, दौसा ।
6. अध्यक्ष, श्री अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति, महुआ, दौसा ।
7. रक्षित पत्रावली ।


विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (100/46) लेखा/आकाशि/अनु/2003/6043 दि 10 जुलाई, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	46	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	एन.एच. 11, भरतपुर रोड़ महवा, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।


(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, दौसा ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।



क्रमांक: एफ4 (13)आकाशि/नि.सं./2006/773

दिनांक:- 02-02-2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित विषय
श्री अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति, गहुआ, दौसा।	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गहुआ, जिला दौसा।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र।

1. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को राग्य-समय पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ डी आर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में मू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
12. मानव साराधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

hah

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री गहोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, दौसा।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अनार

संयुक्त-निर्देशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर